

//1//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-211/10

Filling number 235103001472010

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-211/10

संस्थित दिनांक- 15.06.2010

Filling number 235103001472010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
विरुद्ध
1. सियाराम पुत्र पहलवान जाति रजक उम्र 39 साल निवासी- ग्राम चुरारी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपी

:: निर्णय ::

(आज दिनांक- 31.08.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध धारा 279, 336 भा0द0वि0 एवं 39/192, 66/192 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्र0 एमपी08 डी 1461 जीप को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरो का जीवन संकटपन्न किया एवं उक्त जीप क्र0 एमपी08 डी 1461 को बिना रजिस्ट्री चालान प्रमाण पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाकर धारा 39 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधो का उल्लंघन किया तथा मानव जीवन को बिना परमिट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधो का उल्लंघन किया।

02. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि प्रधान आरक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 24.04.2010 को कस्बा भ्रमण बोर्ड कॉलोनी के पास चंदेरी में जहां पर चंदेरी तरफ से एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एमपी08 डी 1461 का चालक सियाराम बरेठा जीप की छतपर लगभग 10 सवारी व पीछे बोनट व पायदानो पर सवारी लटकाये हुए थे कुल 40 सवारी बैठाये लापरवाही व तेजी से चंदेरी से बामौर तरफ जा रहा था, जिससे जीप में बैठे व्यक्तियों का जीवन, संकटापन्न स्थिति में था। जीप को रोका कागजात मांगे तो परमिट भी न होना पाया गया आरोपी सियाराम का उक्त कृत्य धारा 279,

//2//

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-211/10

Filing number 235103001472010

336 भा0द0वि0 एवं 39/192, 66/192 मोटरयान अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया गया। साक्षी रामपाल यादव एवं जहूर खान के समक्ष आरोपी से फोटो रजिस्ट्रेशन, बीमा, चालक लायसेंस जप्त किये व आरोपी को गिरफ्तार किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जीप को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**03.** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04.** न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त सियाराम के द्वारा दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्र0 एमपी08 डी 1461 जीप को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरो का जीवन संकटपन्न किया ?
3.	क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर उक्त जीप क्र0 एमपी08 डी 1461 को बिना रजिस्ट्री चालान प्रमाण पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाकर धारा 39 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
4.	क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर मानव जीवन को बिना परमिट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

//विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 3//

**05—** विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 3 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। जंगबहादुर सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 24.04.2010 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह गस्त के दौरान बोर्ड कॉलोनी के पीछे चंदेरी तरफ गया था, जहां पर उसके द्वारा महिन्द्रा जीप क्र0 एमपी08 डी 1461 को रोका था। जहूर शाह अ0सा01, रामपाल सिंह अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में साक्षी जहूर शाह द्वारा आरोपी सियाराम को न जानना व्यक्त किया तथा साक्षी रामपाल सिंह ने आरोपी सियाराम

को जानना व पहचाना व्यक्त किया। उक्त दोनो साक्षी जहूर शाह और रामपाल सिंह ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि जप्तशुदा वाहन का चालक सियाराम जीप क्र० एमपी०८ डी १४६१ को तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था।

**०६—** जंगबहादुर सिंह अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा ३ में व्यक्त किया कि जब उसके द्वारा आरोपी से वाहन के कागज मांगे तब आरोपी रजिस्ट्रेशन, बिना व डाइविंग लाइसेंस पेश किया था तथा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि जब आरोपी से साक्षी ने कागज मांगे तब आरोपी ने परमिट भी पेश किया था, इसके अलावा वनवारी लाल सेन अ०सा०४ ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि जब दीवान जी ने जीप चालक से वाहन चालन की अनुज्ञाति मागी और गाडी से संबंधित दस्तावेज मांगे थे तब आरोपी द्वारा गाडी से संबंधित दस्तावेज दे दिये गये थे, इसके अलावा जहूर शाह अ०सा०१, रामपाल सिंह अ०सा०३ ने जप्ती पत्रक प्र.पी.१ पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, किन्तु उक्त जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष होने से इंकार किया। साक्षी जंगबहादुर सिंह अ०सा०२ ने भी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा ३ में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने बीमा डाइविंग लाइसेंस के साथ भी वाहन का रजिस्ट्रेशन पेश किया था तथा प्रकरण का अवलोकन करने से भी दर्शित है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.१ में जीप क्र० एमपी०८ डी १४६१ के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पचनामा बनाया गया था तथा प्रकरण में भी जप्तशुदा वाहन तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

**०७—** उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह दर्शित हो की आरोपी सियाराम जप्तशुदा वाहन क्र० एमपी०८ डी १४६१ को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मानव जीवन संकटापन्न किया, इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न जप्तशुदा जीप क्र० एमपी०८ डी १४६१ का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति भी प्रकरण में संलग्न होने से अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा २७९ एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा ३९/१९२ प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

### // विचारणीय प्रश्न क्र. २ व ४ //

**०८—** विचारणीय प्रश्न क्र. २ व ४ एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। जंगहादुर सिंह अ०सा०२ उसके कथनो में बताया कि महिन्द्रा जीप क्र० एमपी०८ डी १४६१ का चालक गाडी में ४० सवारी जो कि क्षमता से अधिक बैठाकर चंदेरी से बामौर तरफ

जा रहा था तथा जीप में सवारी छत पर व साईड में बैठी हुई थी, जिससे मानव जीवन संकटापन्न होने की स्थिति थी। वाहन को रोककर चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम सियाराम होना बताया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी से मौके पर पुरानी जीप कमांडर महिन्द्रा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्र.पी.1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**09—** वनवारी लाल सेन अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना दिनांक को वह, जंगबहादुर, प्र0 आरक्षक राजेन्द्र कुमार के साथ कस्बा गस्त पर था और जंगबहादुर वाहन चैकिंग कर रहे थे। वाहन चैकिंग के दौरान दीवान जी ने एक जीप को रोका जिसमें 30-40 सवारियां थी। उक्त जीप पर कुछ सवारी उपर थी, कुछ अन्दर थी और कुछ बोनट पर लटकी थी। आरोपी से दीवान जी जंगबहादुर सिंह ने गाडी से संबंधित दस्तावेज मागे जो आरोपी द्वारा दिये गये थे, किन्तु उसमें आरोपी के पास सवारी बैठाने का लाइसेंस नहीं था। राजेन्द्र सिंह अ0सा05 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 24.04.2010 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे अ0क0 129/10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने साक्षी रामपाल, जहूर, एवं बनवारी लाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। यद्यपि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी जहूर शाह अ0सा01 एवं रामपाल अ0सा02 द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन को उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**10—** जंगबहादुर सिंह अ0सा02 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि थाने में गाडियों की जरूरत होने के कारण वाहन को लेने गया था और आरोपी से गाडी मांगने पर सेठ से बात करने और गाडी में कोई सवारी न होने के सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया है। वनवारी लाल सेन अ0सा04 ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्तशुदा वाहन में कोई सवारी नहीं थी। इस बात से भी इंकार किया है कि यदि आरोपी सियाराम गाडी दे देता तो उसके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं करते। इस प्रकार अभियोजन साक्षी जंगबहादुर सिंह अ0सा02, बनवारी लाल सेन अ0सा04 के कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रहे हैं कि जप्तशुदा वाहन में 40 सवारियां लटकाकर दुसरो का जीवन आरोपी द्वारा संकटापन्न किया इसके अलावा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का घटना दिनांक को परमिट था। उक्त तथ्य विशेष तथ्य होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार साबित करने का भार आरोपी पर था। आरोपी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह दर्शित हो कि घटना दिनांक को जप्तशुदा वाहन का वैध परमिट था।

// 5 //

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-211/10

Filing number 235103001472010

**11-** उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त सियाराम को भा0द0स0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु अभियोजन अभियुक्त सियाराम के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 336 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त सियाराम के द्वारा दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्र0 एमपी08 डी 1461 जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरो का जीवन संकटपन्न किया तथा मानव जीवन को बिना परमिट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधो का उल्लंघन किया। अतः आरोपी सियाराम को भा0द0स0 की धारा 336 के आरोप में **200/-** रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के अन्तर्गत **2000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 2 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

**12.** प्रकरण में जप्तसुदा जीप क्र0 एमपी08 डी 1461 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**13-** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**14-** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

//6//

दाण्डक प्रकरण कमांक-211/10  
Filling number 235103001472010